न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक- 789/आ॰नि॰श॰ दिनांक- 12 मई 2020

उपस्थिति हेतु सम्मन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-529/2020

श्री रौशन कुमार, Bihar Deaf Association, श्री ज्ञानेन्द्र मोनिका पुरोहित, डिजेबल राईट्स एडवोकेट, इंदौर एवं कोविड19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के बाहर फँसे अन्य दिव्यांगजन .... वादी

बनाम

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से)। .... प्रतिवादी

प्रकरण में :- **कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त वर्णित प्रकरण में यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार द्वारा कोविड19 (COVID-19) से उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों जारी किये गये हैं। इस संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

बिहार के बहुत सारे दिव्यांगजन छात्र, कामगार, कायकर्ता एवं अन्य देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने विविध माध्यमों से इस कार्यालय को सूचित करते हुए अपने गृह स्थान वापसी हेतु अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र सं0-777/आ0नि0को0 दि0-05.05.2020 द्वारा दिल्ली, नोएडा (उ०प्र०), गुड़गांव (हरियाणा) एवं इंदौर में फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों (मुक-बधिर), जिन्होंने गृह स्थान पहुंचाने के लिए आग्रह किया है, की सूचियाँ (स्थानवार) संलग्न करते हुए उनके मूल गृह स्थान/राज्य पर वापस लाने/भेजने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया था। पत्र में उल्लेख किया गया था कि मुक-बधिर होने के कारण इन दिव्यांगजनों को अन्य के अतिरिक्त सम्बन्धित पदाधिकारियों से सम्पर्क करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं तदनुसार यह अनुरोध किया गया था कि बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने हेतु में अलग से एक नोडल पदाधिकारी (दिव्यांगजनों के सम्बन्ध) नामित किये जाने की आवश्यकता है, जो दिव्यांगजनों से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याओं के आधार पर इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश प्रदान कर इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कारवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय। अपेक्षित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

इस सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त निःशक्तता, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा भी पत्र सं0-आर0-21659 दि0-11.05.2020 इस कार्यालय को प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है (मूल पत्र आर0-21658 दि0-11.05.2020 रेजिडेन्ट कमिश्नर, बिहार भवन, नई दिल्ली को सम्बोधित है)। साथ श्री ज्ञानेन्द्र मोनिका पुरोहित, डिजेबल राईट्स एडवोकेट, इंदौर एवं श्रीमती मीना झा, पटना से भी इसी विषय से सम्बन्धित पत्र कार्यालय को प्राप्त हुये हैं, जिसमें कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य से बाहर फंसे बिहार राज्य निवासी दिव्यांगजनों को उनके मूल गृह स्थान पर वापस लाने/भेजने के अनुरोध के साथ-साथ इस सम्बन्ध में अबतक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाने से सम्बन्धित शिकायत की गई है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

क्र०प०उ०...........

Scanned with CamScanner

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-24 (3)(ग) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता के लिए आवश्यक स्कीमें और कार्यक्रम बनायेगी।

उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित पत्र सं0-777/आ0नि0को0 दि0-05.05.2020 से सम्बन्धित अपेक्षित प्रतिवेदन की अप्राप्ति एवं वादियों द्वारा समर्पित परिवाद पत्रों (प्रति संलग्न) पर विचारोपरांत एतद् द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप उक्त सम्बन्ध में आपदा विभाग द्वारा कृत कार्रवाई का विवरण ई-मेल/पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वाद हेतु निर्धारित ऑनलाईन सुनवाई की तिथि 15.05.2020 (शुक्रवार) को समय अपराह्न 12:30 बजे सम्बन्धित पहलुओं पर दूरभाष/ब्हाटस्एप माध्यम से आवश्यक विवरण एवं सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर समर्पित करने की कृपा करें ताकि उच्च सक्षम पदाधिकारियों को इस विषय में हुई प्रगति के सम्बन्ध में संतोषजनक उत्तर दिया जा सके।

(कार्यालय का सम्पर्क विवरण : दूरभाष संख्या-0612-2215041/9431015499, email - scdisability2008@gmail.com)

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सुनवाई की तिथि पर उन अभिलेखों/संगत दस्तावेजों को ई-मेल/पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें जो कि आप अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहें तथा उसकी एक प्रति वादी को भी उपलब्ध करायें।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिवस 12 माह 05 वर्ष 20... को जारी की गयी।

अनु0-यथोक्त।

12.05.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
डॉ शिवाजी कुमार
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-529/2020-789/आ.नि.को. दिनांक-12 मई 2020

प्रतिलिपि:-परिवादकर्त्ता श्री रौशन कुमार, **Bihar Deaf Association, Patna,** श्री ज्ञानेन्द्र मोनिका पुरोहित, डिजेबल राईट्स एडवोकेट, इंदौर एवं श्रीमती मीना झा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12.05.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
डॉ शिवाजी कुमार
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-529/2020-789/आ.नि.को. दिनांक-12 मई 2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12.05.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
डॉ शिवाजी कुमार
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

ज्ञापांक-सं0सं0-वाद-529/2020-789/आ.नि.को. दिनांक-12 मई 2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-आर0-21659 दि0-11.05.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

12.05.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।
डॉ शिवाजी कुमार
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन
संसं.........
बिहार, पटना

Scanned with CamScanner